सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु,सिद्धार्थनगर
पिनः–272202

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Siddharth Nagar
Pin-272202

अधिसूचना

विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों (राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित) को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप बने कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों के सभी विषयों के **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों** में एक प्रश्नपत्र शोध परियोजना से सम्बन्धित है। इस सन्दर्भ में स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय दोनो वर्षो में एक–एक लघु शोध प्रबन्ध/ प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

साथ ही आगामी सत्र से **स्नातक तृतीय वर्ष** में पहुँचने वाले विद्यार्थियों का भी एक प्रश्नपत्र शोध परियोजना से सम्बन्धित रहेगा। अतः विद्यार्थियों द्वारा उक्त कार्य को सुगमतापूर्वक किये जाने की दृष्टि से (प्रोफशनल पाठ्यक्रमों को छोड़कर) उपर्युक्त के अन्तर्गत आने वाले **सभी विषयों के लिये विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्न कर जारी किये जा रहे है।**

संलग्नक–दिशा–निर्देश।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः 49 /कु0स0का0/सि0वि0वि0/2023 दिनांक 29/04/2023

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता–कला संकाय, वाणिज्य संकाय एवं अधिष्ठाता विज्ञान संकाय।
2. प्राचार्य/प्राचार्य समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभागाध्यक्ष परिसर।
4. उपकुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय।
5. सहायक कुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
6. निजी सचिव, कुलपति, मा0कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

29/4/23
कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश-२७२२०२

शोध परियोजना सम्बन्धी प्रश्नपत्र के बारे में जारी दिशा–निर्देश

जैसा कि सभी अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप बने कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों के सभी विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एक प्रश्नपत्र शोध परियोजना से सम्बन्धित है। इसके अनुसार विद्यार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय दोनों वर्षों में एक–एक लघु शोध–प्रबन्ध/प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करना है। साथ ही आगामी सत्र से स्नातक तृतीय वर्ष में पहुँचने वाले विद्यार्थियों का भी एक प्रश्नपत्र शोध परियोजना से सम्बन्धित रहेगा। अतः विद्यार्थियों द्वारा उक्त कार्य को सुगमतापूर्वक किये जाने की दृष्टि से (प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों को छोड़कर) उपर्युक्त के अन्तर्गत आने वाले सभी विषयों के लिये निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं–

सामान्य निर्देश :

1. शोध परियोजना सभी विद्यार्थियों को करनी अनिवार्य है, क्योंकि यह एक प्रश्नपत्र के रूप में पाठ्यक्रम का भाग है। बिना इसको पूरा किये परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होगा।
2. शोध परियोजना सामूहिक रूप से नहीं की जायेगी। प्रत्येक विद्यार्थी अलग–अलग उपविषय (शीर्षक) पर कार्य करके इससे सम्बन्धित लघु शोध प्रबन्ध/रिपोर्ट मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करेगा।
3. प्रत्येक विद्यार्थी के साथ एक शिक्षक अवश्य निर्देशक के रूप में जुड़े होंगे जो उसी विषय के होंगे, जिस विषय में विद्यार्थी कार्य करेगा। विद्यार्थी के साथ शिक्षक का नाम भी लघु शोध–प्रबन्ध/रिपोर्ट पर निर्देशक के रूप में लिखा होगा और नाम के साथ शिक्षक तथा विद्यार्थी के स्पष्ट हस्ताक्षर भी अंकित रहेंगे।
4. विद्यार्थी शोध परियोजना/इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वेक्षण अपने मुख्य विषय/विषयों से सम्बन्धित क्षेत्र में ही करेंगे।
5. शोध विषय का चुनाव विद्यार्थी अपने निर्देशक के सुझाव के अनुसार करेंगे और उन्हीं के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूरा करेंगे।
6. शोध परियोजना से सम्बन्धित लघु शोध–प्रबन्ध/रिपोर्ट सामान्यतः ए–4 साइज के 30 से 50 पृष्ठ तक की रहेगी।
7. शोध परियोजना से सम्बन्धित लघु शोध प्रबन्ध/रिपोर्ट का मूल्यांकन आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। सामान्यतः अधिकतम 40 विद्यार्थियों तक एक ही बाह्य परीक्षक रहेंगे, परन्तु यदि किसी संस्था में विद्यार्थियों की संख्या 40

29/4/2023 29.4.23 29/4/23 29.4.23 29.4.23

Prakash. Ro. 29/04/2023

से अधिक होती है और एक से अधिक बाह्य परीक्षक नियुक्त किये जाते हैं तो सभी परीक्षकों में विद्यार्थियों का विभाजन लगभग समानानुपात में किया जायेगा।

8. शोध परियोजना–सम्बन्धी प्रश्नपत्र के लिये प्रत्येक वर्ष के लिये 8 क्रेडिट (प्रति सेमेस्टर 4 क्रेडिट) और 100 पूर्णांक (दोनों वर्षों के लिये कुल 16 क्रेडिट और 200 पूर्णांक) निर्धारित हैं। इस प्रश्नपत्र को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेने के उपरान्त ही विद्यार्थी को प्रत्येक वर्ष के लिये निर्धारित 8 क्रेडिट प्राप्त होंगे।
9. प्रत्येक विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर से ही शोध परियोजना हेतु अपना विषय (शीर्षक) चुनकर अपना कार्य आरम्भ कर देगा और द्वितीय सेमेस्टर के अन्त तक लघु शोध प्रबन्ध/रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार की व्यवस्था तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के लिये रहेगी।
10. द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध/रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु निर्धारित 100 अंकों में से में 50 अंक लघु शोध प्रबन्ध/रिपोर्ट की गुणवत्ता पर आधारित होंगे और शेष 50 मौखिकी में किये गये प्रदर्शन पर।
11. शोध परियोजना से सम्बन्धित मूल्यांकन हेतु निर्धारित अंकों में से यदि 80% से अधिक अंक परीक्षकों द्वारा किसी विद्यार्थी को दिये जाते हैं तो उस विद्यार्थी का लघु शोध–प्रबन्ध/रिपोर्ट और मौखिकी की वीडियोग्राफी– दोनों विश्वविद्यालय को भिजवाने होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा एक स्वतन्त्र मूल्यांकन समिति द्वारा उक्त अंकों की पुष्टि किये जाने के उपरान्त ही वह अंक स्वीकार किये जायेंगे, अन्यथा की दशा में नहीं।
12. लघु शोध प्रबन्ध/रिपोर्ट टंकित अथवा हस्तलिखित दोनों रूपों में प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु हस्तलिखित स्वरूप में तभी स्वीकार की जायेगी जबकि हस्तलिपि सुन्दर, पठनीय और स्पष्ट हो।

29/4/2023 29.4.23 29/4/23 29.4.23 29-4-23

Rakesh Rai 29/04/2023